F. No. A.38020/03/2009 – E.1
Government of India
Directorate General of Civil Aviation
* *

Opp. Safdarjung Airport
New Delhi – 110 003
Dated the 3rd September, 2013

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Matters pertaining to ex-Directorate General of Civil Aviation (DGCA) employees subsequently absorbed and retired from National Airport Authority of India/ Airports Authority of India – reg.

The undersigned is directed to refer to various matters including certain court cases by the Pensioners of AAI who are ex-employees of DGCA and to convey that: -

a) All DGCA employees who opted to join NAAI (and subsequently AAI) on absorption basis, are the ex-DGCA employees. The Service records of all such ex-DGCA employees have long been transferred to their new employer i.e. NAAI/AAI consequent upon their absorption in the year 1989.

b) As DGCA has been receiving various representations, grievances pertaining to pensionary matters from such ex-AAI employees/ current employees of AAI who moved from DGCA to NAAI/AAI and information is also being sought through RTI Act from such employees, this is to clarify that:-

"The issue of role of DGCA in above mentioned matters of claims, grievances and legal cases seeking some pensionary benefits from last employers AAI, making DGCA also one of the respondents has been examined in detail and it has been decided with the approval of competent authority that since these employees ceased to be the DGCA employees on their absorption in NAAI/AAI, and all records are with AAI, this office does not have any role to play in the matter."

c) Further whenever in certain court cases where the Pensioners seek/ Claim some pensionary benefits, in pursuance of the options offered by their last employer AAI, and DGCA is made one of the Respondents, raising the issue of counting their service rendered in DGCA, for such Pensionary benefits, it is brought to

..2

the knowledge of all stakeholders in the matter that in all such cases where the issue or legal matter is referred to DGCA only due to the fact of their being ex-DGCA employees, the decision in this regard still lies with Airports Authority of India and Ministry of Civil Aviation as it is the policy decision of the Govt. based on 'option' already exercised by these ex-DGCA employees in terms of such offer given to them by their employer NAAI/AAI. It is reiterated that such issues come within the jurisdiction of AAI and having transferred all individual service records, it is only appropriate that AAI & MoCA present the stand in the Court of Law.

2. This is being brought to the knowledge of all concerned for perusal and necessary action.

This issues with the approval of DG(CA).

(B. Pattnaik)
Deputy Director of Admn
For Director General of Civil Aviation

To:

1. Airports Authority of India, New Delhi

    1) Shri K.K. Jha, Member (HR), AAI
    2) Shri Vilas L. Bhujang, ED(HR), AAI
    3) Shri Raju Dureha, GM(HR), AAI
    4) Shri I.J. Manoharan, GM (Law), AAI

2. DDGs / Directors/ DDs of Regional/ Sub-Regional Offices of DGCA (by name)

3. CPAO, DGCA

Copy to JDGs/ DDGs, Hqrs/ PPS to DG

Copy also to Smt Renu Jain, Director (DG), MoCA

Copy also to Shri Parveen Bhardwaj, NIC Cell, DGCA with the request to upload the Circular in the DGCA website

(B. Pattnaik)
Deputy Director of Admn
For Director General of Civil Aviation

फा0 सं0 ए.-38020/03/2009-स्था-।
भारत सरकार
नागर विमानन महानिदेशालय

सफदरजंग एयरपोर्ट के सामने,
नई दिल्ली- 110003,
दिनांक: 3 सितम्बर, 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय: नागर विमानन महानिदेशालय (डी जी सी ए) के भूतपूर्व कर्मचारीगण, जो बाद में भारतीय राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण/भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में आमेलित और उससे सेवानिवृत्त हुए हैं, से संबंधित मामले।

अधोहस्ताक्षरी को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पेंशनभोगियों जो डी जी सी ए के भूतपूर्व कर्मचारी हैं, द्वारा दायर किए गए अदालती मामलों सहित विभिन्न मामलों का हवाला देने और यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि :-

(क) डी जी सी ए के वे सभी कर्मचारी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण (और उसके पश्चात् भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण) में आमेलन आधार पर शामिल होने का विकल्प दिया था, वे डी जी सी ए के भूतपूर्व कर्मचारी हैं। वर्ष 1989 में उनका आमेलन होने के फलस्वरूप, डी जी सी ए के ऐसे सभी भूतपूर्व कर्मचारियों के सेवा संबंधी रिकार्ड उनके नियोजकों अर्थात्, भारतीय राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण/भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को बहुत पहले ही हस्तांतरित कर दिए गए हैं।

(ख) चूंकि डी जी सी ए को, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के ऐसे भूतपूर्व कर्मचारी/भारतीय विमान पत्तन के वर्तमान कर्मचारी जो डी जी सी ए से भारतीय राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण/भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में चले गए थे, से पेंशन मामलों से संबंधित विभिन्न अभ्यावेदन व शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और ऐसे कर्मचारियों की ओर से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत भी सूचना मांगी जा रही है, अत: स्पष्ट किया जाता है कि

> '' भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जो अन्तिम नियोजक है, से कतिपय पेंशन फायदों की मांग करते हुए दावा, शिकायतों और विधिक मामलों से संबंधित उपर्युक्त मुद्दों , जिनमें डी जी सी ए को भी एक प्रत्यर्थी बनाया गया है, उसमे डी जी सी ए की भूमिका की विस्तार से जांच की गई है और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि इन कर्मचारियों का भारतीय राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण/भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में आमेलन होने के पश्चात् वे डी जी सी ए के कर्मचारी नहीं रहे और उनका सभी रिकार्ड भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास है, अत: इस कार्यालय का इन मामलों में कोई भूमिका नहीं बनती है।''

(ग) इसके अतिरिक्त, जब भी कतिपय न्यायिक मामलों में जहां पेंशनभोगी अपने अंतिम नियोजक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा दिए गए विकल्पों के अनुसरण में, कुछ पेंशन संबंधी फायदों की मांग/दावा करते हैं, और ऐसे पेंशन संबंधी फायदों के लिए नागर विमानन महानिदेशालय में की गई अपनी सेवाओं की गणना का मुद्दा उठाते हैं, तो वहां नागर विमानन महानिदेशालय को एक प्रत्यर्थी बना देते हैं। ऐसी दशा में, सभी स्टेक धारकों के ध्यान में यह बात लाई जाती है कि ऐसे सभी मामलों में जहां डी जी सी ए के भूतपूर्व कर्मचारी होने के नाते ही उक्त मामले या कानूनी मामले डी जी सी ए को विचारार्थ भेजे जाते हैं, वहाँ इस संबंध में निर्णय भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और नागर विमानन मंत्रालय को ही लेना पडता है क्योंकि यह सरकार का एक नीतिगत निर्णय है जो 'विकल्प' पर आधारित है जिसका प्रयोग डी जी सी

...2

ए के इन भूतपूर्व कर्मचारियों ने अपने नियोजक भारतीय राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण/भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा उन्हें दिए आफर के अनुसार पहले ही किया है। पुन: उल्लेखनीय है कि ऐसे मामले जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और सभी वैयक्तिक सेवा संबंधी रिकार्ड जिन्हें हस्तांतरित किया जाता है, उनके लिए यही उचित है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और नागर विमानन मंत्रालय उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत करें।

2. इसे सभी संबंधित अधिकारियों की जानकारी में अवलोकन और आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जा रहा है।

इसे महानिदेशक (नागर विमानन) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(बी.पटनायक)
उपनिदेशक प्रशासन
कृते महानिदेशक नागर विमानन

सेवा में :

1. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली

    1. श्री के. के. झा, सदस्य (एच आर), ए ए आई
    2. श्री विलास एल. भुजंग, कार्यपालक निदेशक(एच आर), ए ए आई
    3. श्री राजू दुरेहा, महाप्रबंधक (एच आर), ए ए आई
    4. श्री आई.जी.मनोहरन, महाप्रबंधक (विधि), ए ए आई

2. नागर विमानन महानिदेशालय के सभी उप महानिदेशक/निदेशक/क्षेत्रीय उप निदेशक/उप क्षेत्रीय कार्यालय (नाम के साथ)
3. केन्द्रीय वेतन तथा लेखा कार्यालय, डी जी सी ए

प्रतिलिपि:

संयुक्त महानिदेशक/उप महानिदेशक, मुख्यालय/महानिदेशक के प्रधान निजी सचिव।

श्रीमती रेनु जैन, निदेशक (डी जी), नागर विमानन मंत्रालय को भी प्रेषित।

श्री प्रवीन भारद्वाज, एन आई सी सेल, डी जी सी ए को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वे इस परिपत्र को डी जी सी ए वेबसाइट पर अपलोड करें।

(बी.पटनायक)
उपनिदेशक प्रशासन
कृते महानिदेशक नागर विमानन